नशीले पदार्थों सम्बन्धी दाण्डिक विधि एवं मध्य निषेध विधि

(स्वापक औषधि एवं मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम 1985)

1. नशीले पदार्थ का अभिप्राय है :-

चरस, अफीम, ब्राउन सूगर, समैक, भांग, गांजा, हीरोईन, कोकीन इत्यादि सभी पदार्थ नशीले पदार्थ है जिनका कब्जे में रखना, सेवन करना या व्यापार करना गम्भीर अपराध है। मनुष्य को एड्स, केंसर जैसी खतरनाक बीमारी इसी नशीले पदार्थों के सेवन से ही होती है इसलिए जो व्यक्ति स्मैक, ब्राउन सूगर, हीरोईन, कोकीन, अफीम इत्यादि का चोरी छिपे प्रयोग, उत्पादन या व्यापार करता है उन सबके दण्डित करने की व्यवस्था स्वापक औषधि एवं मनोत्तेजक अधिनियम 1985 में की गई है। इस अधिनियम की धारा-2 में भांग, चरस, गांजा, अफीम, पोस्ता इत्यादि सभी स्वापक औषधियों एवं मनोत्तेजक पदार्थों को परिभाषित किया गया है। चूंकि इन सभी मनोत्तेजक पदार्थों के प्रयोग से व्यक्ति का शरीर खोखला एवं दिमाग शक्तिहीन हो जाता है। इसलिए इनके सेवन को रोकने के लिये इसको इतना गम्भीर अपराध बनाया गया हे कि इसमें कम से कम दण्ड एक वर्ष का कारवास किया गया है। इसके अतिरिक्त इन नशीले पदार्थों के अवैध रूप से व्यापार करने से न केवल मानवता को इससे खतरा है बल्कि इस देश की आर्थिक स्थिति पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है क्योंकि इसके अवैध व्यापार करने से यदि दस हजार रुपये कीमत की अफीम से हीरोईन व ब्राउन सूगर तैयार की जाती है वह अवैध रूप से विदेशों में बेचने पर इसकी कीमत 10 गुना एक लाख रूपये तक प्राप्त होती है और इस अवैध धन का प्रयोग विदेशों से अवैध शस्त्र एवं अन्य अवैध वस्तुओं के खरीदने में किया जाता है, जिसके कारण इन वस्तुओं के अवैध व्यापार में लगे सभी तस्करों को दण्डित करने के लिये इस अधिनियम में कठोरतम दण्ड देने की व्यवस्था की गयी है।

2. अफीम पोस्त का बिना लाइसेंस प्राप्त किये खेती करना अपराध है :

अफीम का प्रयोग जीवनदाई दवाइयों के निर्माण में भी होता है इसी अवैध अफीम से ब्राउन सूगर, हीरोईन जैसे खतरनाक नशीले पदार्थ तैयार होते हैं इसलिये अफीम की खेती के करने पर रोक है जो कि लाइसेंस प्राप्त किये बिना नहीं की जा सकती है। अफीम के उत्पादन को नियन्त्रित करने के लिये अफीम की खेती करने वाले कृषक को इस बात का लाइसेंस दिया जाता है कि वह अफीम व पोस्ता की खेती में अफीम का पूर हिसाब किताब रखे जिसका पूर्ण नियन्त्रण केन्द्र सरकार के नारकोटिक विभाग के अधिकारी करते हैं इसलिए किसी भी कृषक को अफीम, पोस्ता की खेती करने से पहले केन्द्र के नारकोटिक विभाग से लाइसेंस प्राप्त करना जरूरी है इसलिये यदि कोई कृषक अफीम की खेती बिना लाइसेंस के करता है तो उसे इस संबंध में बनाये गये अधिनियम की धारा 18 में पोस्ता की खेती का उत्पादन करने, क्रय या विक्रय करने वाले को कम से कम 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं एक लाख रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाने का प्राविधान है इसलिए कोई भी व्यक्ति पोस्ता जिससे अफीम बनता है की बिना लाइसेंस के खेती नहीं कर सकता है।

3- निर्मित अफीम का अवैध रूप से व्यापार करना गम्भीर अपराध है :

जहां एक तरफ अफीम की खेती बगैर लाइसेंस के करने की मनाही है वहां दूसरी ओर अफीम के अवैध रूप से व्यापार करने को गम्भीर अपराध बनाया गया है। अफीम की खेती में अफीम के पौधे को तैयार करने में लगभग 3 माह लगते हैं और इन पौधों के फूल में चीरा लगाकर उससे दूध की तरह जो तरल पदार्थ निकलता है उसी की अफीम बनती है और इसी अफीम के माध्यम से ही ब्राउन सूगर या हीरोईन का अवैध निर्माण किया जाता है जिसको विदेशों में तस्करी करने से 100 गुना से अधिक इसकी कीमत प्राप्त की जाती है। इसलिये जो व्यक्ति अफीम को अवैध रूप से अपने कब्जे में रखता है, क्रय या विक्रया करता है या यातायात करता है उसको इस अधिनियम की धारा 17 के अन्तर्गत कम से कम 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं एक लाख रूपये का जुर्माना किया जा सकता है। इसलिये जो व्यक्ति ऐसी किसी अफीम को अवैध रूप से ले जाने में पकड़ा जाय तो वह जिस यातायात के साधन से ऐसा अवैध धन्धा कर रहा था उस वाहन को भी जब्त करते हुये उस व्यक्ति को दण्डित करने की व्यवस्था की गयी है।

4- नशीले पदार्थ के प्रयोग करने वाले व्यसनी व्यक्ति को दण्डित करने सम्बन्धी विशेष विधि :

नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार करने वाले व्यक्तियों को जहां कठोरतम दण्ड देने की व्यवस्था की गयी है वहां ऐसे व्यक्ति जो नशीले पदार्थ के प्रयोग करने में व्यसनी हो चुके हैं और जिनको मजबूरन जिन्दा रहने के लिए ऐसे नशीले पदार्थों का प्रयोग करना पड़ता है ऐसे व्यक्तियों की मजबूरी को देखते हुये इस अधिनियम की धारा 27 में यह व्यवस्था की गयी है कि जिस व्यक्ति को इन

नशीले पदार्थों के प्रयोग की लत पड़ गयी है और उनके पास व्यक्तिगत प्रयोग के लिए ऐसे नशीले पदार्थों की थोड़ी मात्रा पाई जाती है जिसको विक्रय या वितरण करने की मंशा नहीं होती है बल्कि वह व्यक्तिगत उपभोग के लिए उनके पास थे तो ऐसे व्यक्तियों को इस अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत कठोर दण्ड न देते हुये केवल एक वर्ष तक की अवधि के कारवास या जुर्माने से दण्डित करने की व्यवस्था की गयी है। इसलिये इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि क्या व्यक्ति इन नशीले पदार्थों का सेवन स्वयं करता है या अवैध रूप से व्यापार करता है और जो व्यक्ति इसका अवैध रूप से व्यापार करता है तो उसके कठोर दण्ड दिया जाय। धारा 64-ए के अन्तर्गत चिकित्सा के लिए स्वेच्छा से प्रस्तुत करने वाले व्यसनी को अभियोजन से उन्मुक्ति की व्यवस्था की गई है किन्तु अभियोजन के उन्मुक्ति वापस ली जा सकेगी यदि व्यसनी अव्यसन या नशा छोड़ने के लिये पूर्ण इलाज नहीं कराता है।

5- नशीले पदार्थ का अवैध धंधा करने वालों को दण्डित करने की व्यवस्था:

प्राय: लालची लोग, गरीब मजबूर एवं निर्धन लोगों की मजबूरी का देखते हुये उन्हें इस अवैध धन्धे में प्रयोग करने हैं इसलिये इस अधिनियम की धारा 29 में यह व्यवस्था की गई है कि जो व्यक्ति इन नशीले पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिये दुष्प्रेरित करते हैं या अवैध रूप से धंधा कराते हैं तो ऐसे दुष्प्रेरण करने वाले व्यक्ति को अधिनियम की धारा 29 के अन्तर्गत कठोरतम दण्ड देने की व्यवस्था की गयी है। इस प्रकार यदि कोई वाहन का मालिक अपने ड्राइवर को या अन्य किसी व्यक्ति को ऐसे किसी नशीले पदार्थ को ले जाने के लिये दुष्प्रेरित करता है तो वह इस अधिनियम के अन्तर्गत दण्ड का भागी है।

6- नशीले पदार्थों के शाक होने पर व्यक्ति की तलाशी ली जाने सम्बन्धी आवश्यक औपचारिकता :

जहां एक तरफ नशीले पदार्थों का अवैध रूप से रखना, निर्माण करना या उसका व्यापार करने को कठोरतम अपराध ा बनाया गया है जिसमें कम से कम 10 वर्ष की अवधि का कारावास एवं एक लाख रूपये अर्थदण्ड की व्यवस्था की गयी है वहां इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि कोई निर्दोष व्यक्ति इसमें दण्डित न हो इसलिये ऐसे किसी व्यक्ति के विरूद्ध किसी नशीले पदार्थ रखने की शंका हो तो किसी पुलिस अधिकारी द्वारा उसकी तलाशी लेने से पहले कुछ शर्तों को पूरा करना जरूरी होता है जिसकी व्यवस्था इस अधिनियम की धारा 50 में की गयी है। क्योंकि किसी व्यक्ति से यदि कोई नशीला पदार्थ उसके कब्जे से बरामद किया जाता है तो वह उसके अपराध को सिद्ध करने के लिये पर्याप्त होता है इसलिये ऐसी किसी बरामदगी की किसी प्रकार की शंका को समाप्त करने के लिये इस अधिनियम की धारा-50 में यह व्यवस्था कर दी गयी है कि किसी व्यक्ति की तलाशी लेने से पहले तलाशी लेने वाले पुलिस अधिकारी या नारकोटिक विभाग के अधि ाकारी, उस तलाशी लेने वाले व्यक्ति को राजपत्रित अधिकारी या नजदीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष बिना अनावश्यक विलम्ब किये ले जायेगा और उसके सम्मुख ही ऐसे व्यक्ति की तलाशी ली जायेगी जिससे पूर्ण रूप से सुनिश्चित हो सके कि तलाशी लेने वाले व्यक्ति से किसी नशीले पदार्थ की बरामदगी झूठी नहीं दिखाई गई है। इसलिए हर ऐसे व्यक्ति से नशीले पदार्थ का शक होने पर तलाशी लेने से पहले तलाशी लेने वाले अधिकारी पर यह बाध्यकर है कि वह ऐसे व्यक्ति को पूछेगा कि वह अपनी तलाशी राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष देना चाहता है तो उस अधिकारी के समक्ष ही ऐसे व्यक्ति की तलाशी लेनी होगी और यदि किसी राजपत्रित अधिकारी, नजदीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष तलाशी लेकर बरामदगी नहीं की जाती है तो वह बरामदगी इस अधिनियम की धारा-50 की शर्तों की पूर्ति न करने के कारण अवैध मानी जायेगी और उस आधार पर ऐसे किसी नशीले पदार्थ की बरामदगी करने पर राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के न होने के परिणामस्वरूप ऐसे व्यक्ति को इस अधिनियम के अन्तर्गत दण्डित नहीं किया जा सकता।

7- वाहन को रोकने और तलाशी लेने सम्बन्धी व्यवस्था :

नशीले पदार्थ के निवारण सम्बन्धी बनाये गये अधिनियम की धारा-42 के अधीन यदि सम्बन्धित अधिकारी के पास यह शक करने के कारण है कि कोई पशु या वाहन किसी स्वापक औषधि या मनोत्तेजक पदार्थ के धंधे में प्रयोग किया जा रहा है तो ऐसा अधिकारी उस पशु या वाहन को रोककर उसकी छानबीन एवं तलाशी ले सकेगा तथा माल का परीक्षण कर सकेगा। इस संबंध में अधिकारी को किसी वाहन पर अवैध मादक पदार्थों के ले जाने संबंधी शक होने का पर्याप्त आधार होना चाहिए तभी वह ऐसे किसी वाहन को रोककर तलाशी ले सकता है। इसलिये जनता को पेरशानी से बचाने के लिये उस अधिनियम की धारा 39 के अन्तर्गत पुलिस या अन्य अधिकारी से अपेक्षा की गई है कि कोई पर्याप्त शंका का आधार होने पर ही ऐसे किसी वाहन को रोककर उसकी तलाशी लेने की कार्यवाही करें। यदि ऐसा नहीं किया जाता और परेशान करने के लिये यह तलाशी ली जाती है तो उस अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही की जा सकती है।

8- पूर्व दोष-सिद्धि के पश्चात कुछ अपराधों के लिये मृत्यु दण्ड:

अधिनियम के अर्न्तगत धारा 31-ए के अन्तर्गत यदि किसी व्यक्ति को पूर्व में दोष सिद्धि किया जा चुका है तो उसे पुन: इस अधि ानियम में अपराध करने के लिये कठोरतम दण्ड की व्यवस्था की गयी है। अफीम, मोरफिन, हेरोइन, हशीश आदि को नियमित मात्रा से अधिक रखने पर व व्यापार करने पर मृत्युदण्ड तक की व्यवस्था की गयी है।

9- किसी होटल, दुकान या अन्य सार्वजनक स्थानों पर नशीले पदार्थ होने की शंका पर तलाशी लेने संबंधी व्यवस्था:

अधिनियम की धारा-45 में सार्वजनिक स्थानों पर जिसमें होटल, दुकान इत्यादि भी सम्मिलित है, अवैध रूप से नशीले पदार्थ की शंका होने पर तलाशी लेने का प्राविधान किया गया है। इस संबंध में इस बात का ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि किसी भी तलाशी लेने वाले व्यक्ति के पास सर्वप्रथम तलाशी लेने की शक्ति निहित होनी चाहिये अर्थात सशक्त अधिकार अर्थात उसे स्वयं गिरफ्तार करने या तलाशी लेने का अधिकार है और दूसरे यह कि उसे इस बात का विश्वास करने का कारण होना चाहिए कि ऐसे किसी नशीले पदार्थ को रखने या ऐसे किसी नशीले पदार्थ में लिप्त होने के लिये पर्याप्त आधार हो। यह भी ध्यान रखा गया है कि इसका दुरुपयोग न हो इसलिये इसी अधिनियम की धारा 58 में यह भी व्यवस्था की गयी है कि यदि कोई अधिकारी झूठ शरारतपूर्ण मंशा से तलाशी की कार्यवाही करता है तो उसके विरूद्ध मुकदमा चलाकर उसे दण्डित किया जा सकता है। इसलिये ऐसी तलाशी की कार्यवाही करने से पहले अवैध नशीले पदार्थों संबंधी अपराध होने के लिये सम्बन्धित अधिकारी के पास शंका के लिए पर्याप्त आधार होने परम आवश्यक है।

10- नशीले पदार्थों के अपराध संज्ञेय एंव अजमानतीय है:

चुंकि विषैले धंधों में जहां एक तरफ विषैले पदार्थ मानवता के लिये खतरनाक है वहीं दूसरी ओर इस विषैले धंधे में आर्थिक लाभ सैकड़ों या हजारों गुना होता है इसलिये इस अपराध में कठोरतम दण्ड देने की व्यवस्था करते हुए इसे संज्ञेय एवं अजमानतीय बनाया गया है इसलिये इसमें जहां एक तरफ जमानत करने में मनाही नहीं की गयी है और विशेष आधारों पर ही ऐसे किसी व्यक्ति को जमानत पर छोड़ा जा सकता है। जहां न्यायालय को यह समाधन हो जाय और यह विश्वास करने का युक्तियुक्त आधार हो कि ऐसा व्यक्ति अपराध का दोषी नहीं है और सम्भवत: वह जमानत पर रहने के समय कोई अपराध नहीं करेगा तभी उसकी जमानत स्वीकार की जा सकती है।

11- किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने पर सम्बन्धित अधिकारी को 48 घण्टे के अन्दर अपने वरिष्ठ अधिकारी को रिपोर्ट देनी होगी :

चूंकि स्वापक एवं मनोत्तेजक पदार्थ के अपराधों को गम्भीर अपराध बनाया गया है और इसमें कठोर दण्ड देने की व्यवस्था की गई है इसलिये किसी भी अधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति को झूठा गिरफ्तार करने की सम्भावना को कम करने के लिए इस अधिनियम की धारा 57 में व्यवस्था की गई है कि गिरफ्तारी करने वाले अधिकारी को इस अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तारी या अधिग्रहण या अधिग्रहण के सभी विवरण की पूर्ण रिपोर्ट अपने वरिष्ठ अधिकारी को देनी होगी अन्यथा उस गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को शंका का लाभ दिये जाने का यह पर्याप्त आधार होगा और उसके साथ-साथ ऐसे व्यक्ति को जमानत दिये जाने का भी यह आधार होगा।

12- नशीले पदार्थ का अभिग्रहण करने संबंधी व्यवस्था:

जब किसी स्वापक एवं मनोत्तेजक पदार्थ की बरामदगी की जाती है तो जहां पर बरामदगी होती है वहां मौके पर गवाहों की उपस्थिति में यह बरामदगी की जानी आवश्यक है जिसके लिऐ मौके पर ही फर्द तैयार करके गवाहों की मौजूदगी में ही ऐसे बरामद किये गये स्वापक एवं मनोत्तेजक पदार्थ को सील किया जाता है तथा अभिगृहित किये गये वस्तुओं को उस क्षेत्र के पुलिस थाने में जमा किया जाता है ताकि वह सुरक्षित रह सके और सम्बन्धित व्यक्ति के विरूद्ध न्यायालय में मुकदमा चलाने पर उसे विधिवत साक्ष्य के रूप में पेश किया जा सके। इस संबंध में अधिनियम की धारा-55 में यह व्यवस्था की गयी है कि जब थाने के भार साधक अधिकारी द्वारा ऐसे किसी बरामद किये गये सामान को अपनी अभिरक्षा में लिया जाता है तो उस भारसाधक अधिकारी को अपनी मोहर उस वस्तु पर लगानी होगी। इसके लिये न्यायालय की आज्ञा से नमूने लेकर प्रयोगशाला में भेजकर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि वह वस्तु वास्तव में नशीले पदार्थ की थी।

13- केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं अन्य अधिकारियों को केन्द्र एवं राज्य सरकार थाने के प्रभारी अधिकारी की तरह शक्तियां निहित कर सकती है :

अवैध नशीले पदार्थों की तस्करी, इनका अवैध निर्माण एवं अन्य प्रयोग करने की रोकथाम के लिये उन्हें पकड़ने, तलाशी लेने एवं अन्य कार्यवाही करने के लिये थाने के प्रभारी अधिकारियों की शक्तियां केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, स्वापक सीमा शुल्क, राज्य गुप्तचर विभाग एवं सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों को भी इस अधिनियम की धारा 53 के अन्तर्गत केन्द्र एवं राज्य सरकार शासकीय राजपत्र में प्रकाशन करके ऐसी शक्तियां निहित कर सकती है इसलिये इस अवैध नशीले पदार्थों के अवैध धंधों पर रोकथाम के लिये केन्द्र एवं राज्य सरकार ने अधिकारियों को सशक्त किया है ताकि उनके द्वारा इस पर नियंत्रण किया जा सके और मानवता को जो इससे खतरा है उस पर नियन्त्रण करने को साथ-साथ इसमें लिप्त राष्ट्रीय एवं अर्न्तराष्ट्रीय तस्करी से जो आर्थिक नुकसान होता है उसका निवारण किया जा सके।

14- अवैध रूप से प्राप्त की गई सम्पत्ति:

अधिनियम के अन्तर्गत अध्याय 5–ए के अधीन यातायात में प्रयुक्त या अवैध यातायात से प्राप्त सम्पत्ति के समपहरण की व्यवस्था की गयी है जो कि अधिनियम की धारा 68–क से 68 म तक समाविष्ट है। ऐसे अवैध यातायात या कृत अपराधों से सम्बन्धित या उनसे जोड़ी गई सम्पत्ति का समपहरण किया जा सकता है किन्तु इसके लिए अवैध रूप से अर्जित सम्पत्ति की पहचान किया जाना तथा समपहरण की सूचना दिया जाना आवक्यक है। सबूत का भार प्रभावित व्यक्ति पर होगा कि वह यह सिद्ध करें कि सम्बन्धित सम्पत्ति अवैध रूप से अर्जित की गई सम्पत्ति नहीं है।

15– इस अधिनियम में 2001 में संशोधन के पश्चात् अपराध में दण्ड सम्बन्धी कुछ नई तब्दीलियां:

इस अधिनियम में पहले हर व्यक्ति को चाहे उसके कब्जे से 10 ग्राम की अवैध मनोत्तेजक पदार्थ मिले या 10 किलो के ऐसे नशीले पदार्थ मिले तो उसे कम से कम 10 साल की सजा करनी अनिवार्य थी परन्तु नये संशोधन के अन्तर्गत अत यदि किसी व्यक्ति के कब्जे से कोई मनोत्तेजक पदार्थ 200 ग्राम से लेकर एक किलो से कम की मात्रा में मिलता है तो उसे व्यावसायिक मात्रा से कम मानते हुये उसको अधिक से अधिक 10 (दस) साल तक की सजा दी सकती है। कहने का अभिप्राय यह है कि अपराध की प्रकृति को देखते हुये दण्ड की अवधि इतनी दी जा सकती है जो किसी रूप में 10 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये परन्तु जहां तक मनोत्तेजक पदार्थ की बरामदगी की मात्रा एक किलो या उससे अधिक की पाई जाती है तो उसमें सजा अनिवार्य रूप से 10 वर्ष से अधिक दी जायेगी।

विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए प्रार्थना – पत्र

सेवा में,

सचिव,

उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति/उपसमिति/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/तहसील विधिक सेवा समिति,

तहसील – जनपद–

मैं ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी/विधवा ..... निवासी .... विधिक सहायता/परामर्श प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित परिस्थितियों में आवेदन करता/करती हूँ–

1. समस्त स्रोतों से मेरी वार्षिक आय रु. 1,00, 000/– (एक लाख रुपया)तक है (आय प्रमाण पत्र संलग्न है)
2. मैं पात्रता की निम्न श्रेणी में आता हूँ/आती हूँ (जो लागू हो उसके सामने सही का निशान लगायें) :–
   (क) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति
   (ख) मानव दुर्व्यवहार या बेगार का सताया हुआ
   (ग) स्त्री या बालक
   (घ) मानसिक रूप से अस्वस्थ
   (ड़) बहु विनाश, जातीय हिंसास, जातीय अत्याचार, बाढ़, सूखा, भूकम्प या औद्योगिक विनाश की दशाओं के अधीन सताया हुआ व्यक्ति।
   (च) औद्योगिक कर्मकार
   (छ) युद्ध में शहीद सैनिक आश्रित
   (ज) अभिरक्षा में (प्रमाण पत्र संलग्न करें)
3. विधिक सेवा परामर्श की प्रकृति विवाद का कारण, दावे प्रतिवादी आदि का संक्षिप्त विवरण।
4. क्या विधिक सेवा परामर्श प्राप्त करने के लिए पूर्व में कोई प्रार्थना पत्र दिया था? यदि हाँ तो उसका परिणाम?
5. मुझे निम्न प्रकार की कानूनी सहायता वांछित है :–
   (1) वाद दायर करने/प्रतिवाद करने हेतु नि:शुल्क अधिवक्ता की सेवायें
   (2) कोर्ट फीस की मद में अदा की जाने वाली धनराशि
   (3) अभिलेख प्राप्त करने हेतु व्यय की गयी/व्यय होने वाली धनराशि
   (4) वाद व्यय की मद में व्यय की गयी धनराशि
   (5) केवल विधिक परामर्श

मैं विश्वास दिलाता हूँ/दिलाती हूँ कि विधिक सेवा प्रदान किये जाने की स्थिति में मैं उपलब्ध कराये गये अधिवक्ता तथा जिला प्राधिकरण/उच्च न्यायालय समिति को पूर्ण सहयोग प्रदान करूंगा/करूंगी और किसी भी बात को नहीं छुपाऊँगा/छुपाऊँगी।

प्रार्थी/प्रार्थिनी

पता –

नाम –